

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर (जिला-अजमेर)

पीठासीन अधिकारी डॉ० आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2018

उनवान

1. साबा पत्नि लक्ष्मण
2. लक्ष्मण पुत्र चन्दा
3. सूरजमल पुत्र चन्दा

समस्त जाति रावत निवासी ग्राम गूदली तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय अजमेर
2. उप पंजीयक महोदय अजमेर
3. रामपाल पुत्र राजू
4. शंकर पुत्र राजू

समस्त जाति रावत निवासी ग्राम गूदली तहसील व जिला अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक 05.12.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खरीदशुद्धा खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात ग्राम बीर तहसील व जिला अजमेर स्थिति वर्किंग खसरा नम्बर 493 रकबा 03-06-00 के आधार खसरा नम्बर 1579 रकबा 0.27 व 1580 रकबा 0.27 वर्किंग खसरा नम्बर 495 रकबा 02-03-0 के आधार खसरा नम्बर 1583 रकबा 0.35, वर्किंग खसरा नम्बर 498 रकबा 3-14-0 के आधार खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.42, 1588 रकबा 0.08, एवं खसरा



नम्बर 1589 रकबा 0.10 हैक्टर है। उक्त आराजीयात के पूर्व खातेदारी अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 4 एवं पन्ना पुत्र राजू थे जिसमें पन्ना पुत्र राजू नाओलाद फौत हो चुका है जिनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.2.1997 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3 एवं बीरमा, हेमा, हाबू व पेमा पुत्रगण श्री उरजा को किया जाकर कब्जा संभला दिया गया था उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये नामांतरकरण संख्या 219 दिनांक 22.3.2000 द्वारा दर्ज कर दिया गया जिसका अमल दरामद वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 में भी कर दिया गया । तत्पश्चात बीरमा, हेमा, पेमा, हाबू पुत्रगण उरजा ने अपने क्यशुद्धा हिस्से का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.3.2005 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान प्रार्थीया संख्या 1 को किया जाकर कब्जा सीला दिया गया था । उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीया संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये नामांतरकरण संख्या 693 दिनांक 29.1.2008 द्वारा दर्ज कर दिया गया जिसका अमल दरामद वर्किंग जमाबंदी सवत 2041 में भी कर दिया गया जो संलग्न जमाबंदी से स्वयं सिद्ध है उक्त क्रय दिनांक से प्रार्थीगण अपनी क्यशुद्धा भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। भू राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा हाल में हुए भू-संशोधन के दौरान गैर कानूनी रूप से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज नामान्तकरण संख्या 693 दिनांक 29.1.2008 का इन्द्राज वर्तमान राजस्व रिकार्ड/आधारभूत जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 में सहवन से दर्ज नही कर पूर्व विक्रेतागण का नाम हाल जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया । जिसकी इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । वर्किंग जमाबंदी से आधारभूत जमाबंदी मूर्तिब करते समय बन्दोबस्त विभाग द्वारा नयी आधारभूत जमाबंदी मुर्तिब करते समय सहवन से पूर्व में प्रार्थीगण के नाम दर्ज नामांतरकरण की पुनावृति नही की गई जिससे वर्तमान में विक्रेतागण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है । जिसकी दुन्द्राज दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर उक्त वर्णित आराजीयात में दर्ज अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 4 का नाम हलफ कर प्रार्थीगण का नाम वर्किंग जमाबंदी में दर्ज नामान्तकरण संख्या 219 दिनांक 22.3.2000 एवं नामांतरकरण संख्या 693



दिनांक 29.1.2008 की पालना में वर्तमान अभिलेख में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 नोटिस लेने से इन्कार किये जान पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

राजकीय पेरोकार ने उपस्थित होकर तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थिया के द्वारा वांछित दुरुस्ती आदेश उचित होना बताया गया है।


उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम बीर तहसील व जिला अजमेर में वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 584 के वर्किंग खसरा वर्किंग खसरा नम्बर 493 रकबा 03-06-00 वर्किंग खसरा नम्बर 495 रकबा 02-03-00, वर्किंग खसरा नम्बर 498 रकबा 03-04-00 जरिये नामान्तकरण संख्या 219 दिनांक 22.3.2000 से लक्ष्मण, सूरजमल पुत्रगण चंदा 1/2 हिस्सा, एवं बीरमा, पेमा, हेमा, हाबू पुत्रगण उर्जा 1/2 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 584 में वर्किंग खसरा नम्बर 493 रकबा 03-06-00 वर्किंग खसरा नम्बर 495 रकबा 02-03-00, वर्किंग खसरा नम्बर 498 रकबा 03-14-00 जरिये नामान्तकरण संख्या 693 दिनांक 29.1.2008 से क्रेता बीरमा, पेमा, हेमा, हाबू पुत्रगण उर्जा 1/2 के स्थान पर साबा पत्नि लक्ष्मण जाति रावत निवासी गुदली के नाम अंकन दर्ज है। जिन उक्त वर्णित भूमियों के साबिक 493 रकबा 03-06-00 के हाल खसरा नम्बर 1579 रकबा 0.27 व 1580 रकबा 0.27 बने है। इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 495 रकबा 02-03-00 के हाल खसरा नम्बर 1583 रकबा 0.35 बने है। इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 498 रकबा 03-14-00 के हाल खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.42, खसरानम्बर 1588 रकबा 0.08 व खसरा नम्बर 1589 रकबा 0.10 बने है। तथा नामान्तकरण संख्या 769 दिनांक 6.10.2009 का हिस्सा एस.बी.बी.जे नसीराबाद के हक में अंकन है। बरवक्त भू-प्रबन्ध विभाग सक्रियाओ के तहत भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा कि वर्तमान



राजस्व रेकार्ड में पूर्व विक्रेता रामपाल, शंकर, पन्ना पिसरान राजू रावत साकिन गुदली नाम अंकित कर दिया गया है । जो कि इन्द्राज त्रुटि कारित हुई है।

अतः भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल जमाबंदी सवंत 2073-2076 ग्राम बीर तहसील अजमेर स्थित खाता संख्या नया 927 पुराना 860 में अंकित खसरा नम्बर 1579 रकबा 0.27, खसरा नम्बर 1580 रकबा 0.27, खसरानम्बर 1583 रकबा 0.35 कुल रकबा 0.89 पूर्ण पर एवं खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.42, खसरा नम्बर 1588 रकबा 0.08, खसरा नम्बर 1589 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 0.60 में से 0.52 पर रामपाल, शंकर, पन्ना पिसरान राजू कौम रावत साकिन गुदली के स्थान पर साबा पत्नि लक्ष्मण जाति रावत साकिन गुदली 1/2 हिस्सा राहिन एस.बी.बी.जे शाखा नसीराबाद अकन मूर्तहीन, लक्ष्मण, सूरजमल पिसरान चन्दा जाति रावत साकिन गुदली 1/2 हिस्सा के नाम जरिये नामान्तकरण इन्द्राज दुरुस्ती के तहसीलदार अंजमेर को आदेश दिए जाते है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार अजमेर को पालनार्थ प्रेषित हो ।

आदेश आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


डॉ० आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

